

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-02/ग्यारह-2-22-9(47)/17-टी.सी.176-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(224)-2022

लखनऊ: दिनांक: 06 जनवरी, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 2021) की धारा 1 की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, एतद्द्वारा तारीख 1 जनवरी, 2022 को ऐसी तारीख नियत करती हैं, जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 2, 3 और धारा 7 से 15 के उपबंध प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे।

आज्ञा से



(संजीव मित्तल)

अपर मुख्य सचिव